मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

RAJASTHAN RMSC MEDICAL SERVICES CORPORATION

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005 (राज.)

फोन न: 0141-2228066 , 2228064 फैक्स नं 0141-2228065 वेबसाईट : www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

सीआईएन. :U24232RJ2011SGC035067 ई–मेल :: rmsc@nic.in

क्रमांक : प.05(पीएफ) / आरएमएससी / क्यू.सी. / 2025-26 / 1845 दिनांक : 10/11/25

आदेश

M/s Sai Parenterals Limited (Formerly Known As Sai Parenterals Pvt Ltd),Plot no.45A & B Anrich Industrial Estate, IDA Bollaram, Sangareddy District-502325 से निविदा क्रमांक F.02 (400) / RMSCL / PROCUREMENT/ Drug /NIB-05 /2024/546 दिनांक 13.03.2024 के तहत् औषधि Cefpodoxime Proxetil Tablet IP 100mg [NRD-571] की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि आपूर्ति करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 6539 दिनांक 08.01.2025 जारी किया गया था।

उक्त क्रय आदेश की पालना में आपूर्ति की गयी औषधि को राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम की अधिकृत प्रयोगशाला से जाँच कराये जाने पर औषधि के बैच संख्या S25016 गुणवत्ता (Dissolution) में अमानक कोटि का पाया गया जो कि Not of Standard Quality (Grossly Substandard) की श्रेणी में हैं।

उक्त बैच को पुनः जांच हेतु राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया। राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की जाँच में औषधि के उक्त बैच संख्या S25016 गुणवत्ता (Dissolution) में अमानक कोटि का घोषित किया गया जो कि निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं है एवं Not of Standard Quality (Grossly Substandard) की श्रेणी में हैं।

अमानक कोटि की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 28.10.2025 में रखा गया। फर्म को दिनांक 17.10.2025 को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिये अवसर दिया गया। फर्म की और उपस्थित प्रतिनिधि को सुना गया। फर्म की और से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा समिति सदस्यों के समक्ष कोई नया तथ्य प्रस्तुत नही किया गया।

राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा उक्त औषधि के उक्त बैच को Not of Standard Quality (Grossly Substandard) की श्रेणी में अमानका कोटि का घोषित किया गया है। फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम की विवर्जन संबंधी गाइडलाइन के क्लॉज 4.6(1) के तहत Not of Standard Quality (Grossly Substandard) की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या Section (V)(3) Quality Testing एवं Section (VII)(A)(E) Quality Control Deduction & Other Penalties के अनुसार निविदादाता द्वारा आपूर्ति की गई औषधि के सैम्पल गुणवत्ता मानकों अनुसार नहीं पाये जाने पर विवर्जन संबंधी दिशा–निर्देशों (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28 / 08 / 2018 के क्लॉज 4.6(1) के

RajKaj Ref No.: 18715346

eSign 1.0

Signature valid

Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation : Managing Director
Date: 2025.11.07 16:21:28 IST
Reason: Approved

अनुसार कार्यवाई किये जाने का प्रावधान है। विवर्जन संबंधी दिशा–निर्देशों के क्लॉज संख्या 4.6(1) निम्नानुसार है:–

4.6(1) <u>Grossly substandard</u> If any batch of a particular item supplied under a tender tenure by the supplier is declared as Not of Standard Quality by an empanelled lab or Govt. Lab which falls in grossly substandard category and such failure is further confirmed by another empanelled lab / Govt. Lab, then the product shall be liable for debarring for a period of not Less than one (1) years.)

अतः निविदा की शर्त संख्या Section (V)(3) Quality Testing एवं Section (VII)(A)(E) Quality Control Deduction & Other Penalties के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जन संबंधी दिशा निर्देशों (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.6(1) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 28.10.2025 की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म मैसर्स Sai Parenterals Limited (Formerly Known As Sai Parenterals Pvt Ltd),Plot no.45A & B Anrich Industrial Estate, IDA Bollaram, Sangareddy District-502325 की औषधि Cefpodoxime Proxetil Tablet IP 100mg [NRD-571]के लिये यह आदेश जारी करने की तिथि से **18 माह** के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है।

इस आदेश का पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा प्रतिस्थापित (Replacement) प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई गई हो, पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

(पुखराज सैन)
आई.ए.एस
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2025-26/ 1845 दिनांक : 10/11/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, मिशन निदेशक,एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियत्रंण, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
6. निजी सहायक, निदेशक,पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू. चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सहायक, औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
8. निजी सहायक, औषधि नियंत्रक, राजस्थान/तेलंगाना।
9. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।

RajKaj Ref No.:
18715346
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation : Managing Director
Date: 2025.11.07 1?:21:28 IST
Reason: Approved

10. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं उप.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
12. M/s Sai Parenterals Limited (Formerly Known As Sai Parenterals Pvt Ltd),Plot no.45A & B Anrich Industrial Estate, IDA Bollaram, Sangareddy District-502325
13. आदेश पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक

RajKaj Ref No.:
18715346
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by [illegible]raj Sen
Designation: Mana[illegible]g Director
Date: 2025.[illegible].07 [illegible]:21:28 IST
Reason: Appro[illegible]